<u>माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 नंबर–602/2022, श्री उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के संबंध में शपथ पत्र</u>

1. मा0 अधिकरण द्वारा उपरोक्त ओ0ए0 नं0 602/2022 में दिनांक 07.05.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके प्रभावी अंश निम्नानुसार हैं:–

   "7. We have gone through the reports and we find that requisite remedial measures essentially required to be taken for restoration of Chande Baba Talab have not been taken by the concerned authorities so far. The question as to whether Chande Baba Talab is liable to be declared wetland in view of the area involved has also not been considered/decided.

   8. No doubt the matter of removal of encroachments is also involved but the area under encroachment is merely 3.1859 hectare and the remaining area is available for restoration which needs to be focused upon and given priority and the matter of restoration/rejuvenation of remaining area of the pond cannot be allowed to be delayed by tagging the same with the question of removal of encroachments.

   9. Additional Chief Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh, the Chairman, State Wetland Authority, and the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttar Pradesh are directed to personally look into the matter and issue appropriate instructions for taking of remedial measures and file their own affidavits within two months regarding remedial measures taken/to be taken for restoration of the pond and better utilization of the area available.

   10. The District Magistrate, Lucknow is also directed to file his report by way of his own affidavit within two months mentioning in detail action taken/to be taken and also the deliberations made in the meetings of the District Wetland Committee regarding 'Chande Baba Talab' alongwith copies of the minutes recording the deliberations/decisions regarding the same.

   12. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the District Magistrate, CDO and DFO, Lucknow before this Tribunal on the next date of hearing physically or through VC to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are directed to remain present before this Tribunal on that date."

2. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश की प्रति कार्यालय सदस्य–सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक–211/26–11(UPSWA)-53-2023-24 दिनांक 21.03.2024 **(संलग्नक–1)** द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ/सदस्य–सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, लखनऊ को प्रेषित करते हुए जिला आर्द्रभूमि समिति एवं जिला स्तरीय अन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ/सदस्य–सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक–10266/29–1 दिनांक 13.06.2024 **(संलग्नक–2)** द्वारा प्रकरण में विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों संबंधी जिलाधिकारी, लखनऊ का कार्यालय आदेश प्रेषित करते हुए वन विभाग द्वारा चन्दे बाबा तालाब परिक्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की 1000 पौध लगाये जाने की सूचना प्रेषित की गयी।

4. उपरोक्त प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ/सदस्य–सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, लखनऊ के पत्रांक–999/35–1 दिनांक 06.08.2024 द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की गयी। इस रिपोर्ट के साथ जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 26.07.2024 को आयोजित की गयी जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया गया। कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–3)**।

उपरोक्तानुसार रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

07/08/2024
(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

संलग्नक – 1

अगली सुनवाई तिथि 08.08.2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या– २११/26–11(UPSWA)–53/2023–24 लखनऊः दिनांकः २१ मई, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,
लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–101/26–11(UPSWA)–53/2022 दिनांक 10.11.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 07.05.2024 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है। आदेश के बिन्दु संख्या–4 में संयुक्त समिति द्वारा विषयगत प्रकरण में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का जिक किया गया है। कृपया इस तालिका की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रकरण में अब अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश के लिये भी निर्देश पारित किये गये हैं। अतः कृपया प्रकरण में जिला आर्द्रभूमि समिति एवं जिला स्तरीय अन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

संलग्नक - 2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्र संख्या – 10266/29–1 लखनऊ, दिनांक, 13 जून, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
ईको विकास / सदस्य–सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

विषयः– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–602/2022 के संबन्ध में

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–211/26–11(UPSWA)–53/2023–24 दिनांक 21.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित अनुक्रम में अवगत कराना है कि वन विभाग द्वारा 1000 आयरन ट्री–गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसकी मय फोटोग्राफ छाया प्रति संलग्न है तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनाँक 07.05.2024 के बिंदु संख्या– 4 में संयुक्त समिति द्वारा विषयगत प्रकरण में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(सितांशु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या 10266 उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितांशु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

संख्याः 3289 /एसटी–एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक अक्टूबर, 27, 2023

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश के समादर में ग्राम गढ़ी चुनौटी तहसील व विकासखण्ड सरोजनीनगर जनपद लखनऊ स्थित चाँदे बाबा तालाब की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 11.09.2023 को विभागीय स्तर से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में एक्शन टेकेन रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गये हैं। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के समादर में विभागीय स्तर से कराये जाने वाले कार्यो का विभागवार विवरण निम्नवत है–

कमांक	विभागीय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण।	विभाग
1-	Removal of ecroachment around the pond	District Administration
2-	Removal of hyacinth	Rural Development Department
3-	Identification and tapping of drains to curtail pollution source sat inlet	Miner Irrigation Department
4-	Removal of polluted Watedr from the pond	Rural Development Department
5-	Rejuvenation/beautification of the pond	Rural Development Department
6-	Development of green belt	Forest Department
7-	Water monitoring of the pond	UPPCB

अतएव माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश 11.09.2023 के समादर में कार्ययोजना विकसित करते हुए विभागीय स्तर से अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने हेतु **मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।**

मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ/नामित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विषयगत प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के समादर में सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल विभागीय स्तर से कार्ययोजना तैयार कराकर समयान्तर्गत अनुपालन आख्या श्री भंवर सिंह जडान, स्थायी अधिवक्ता, मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

SDO(M)
RA-II
Ravi

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

DFO
30/10/23

1. श्री भंवर पाल सिंह जडान, स्थायी अधिवक्ता, मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ।
4. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, शारदा नहर खण्ड–2, लखनऊ।
7. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ
8. खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज, लखनऊ।

(अवध वन प्रभाग, लखनऊ)

पत्रांक– 266 / 354 (चांदकाक) (लखनऊ) दिनाँक– 31/10/2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग
लखनऊ।

विषयः– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या–602/2022 अल्पेश सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश के अनुक्रम में चांदकाका तालाब परिक्षेत्र में वन विभाग द्वारा 1000 ट्री गार्ड में रोपण।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–215/19–2(35-1) चांदकाका दि० 31/10/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या–602/2022 अल्पेश सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश के क्रम में चांदकाका तालाब परिक्षेत्र में खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विभाग द्वारा दिये गये 1000 आयरन ट्री-गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण का विवरण निम्नवत है:–

क्रम संख्या	आयरन की गार्ड में रोपित प्रजाति	पौधों की संख्या	अभियुक्ति
1–	अर्जुन	504 पौध	
2–	जामुन	195 "	
3–	सेमल	185 "	उक्त वृक्षारोपण पूर्ण करा दिया गया है।
4–	कचनार	86 "	
5–	पीपल	10 "	
6–	बरगद	10	
7–	पाकड़	10	
	योग –	1000 पौध	

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 31/10/2023
(शौकत उल्ला खाँ)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर रेंज
लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-3 (28)

दिनांक 26-07-2024 को जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ की अध्यक्षता में जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी

उक्त बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश के अनुक्रम में गढी चुनौटी तहसील व विकास खण्ड सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ स्थित चॉदे बाबा तालाब के सम्बन्ध में बैठक की गयी।

जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक में कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक सं0 3269/एसटी-एडीएम0(प्रशा0)/2023 दिनांक 27-10-2023 के क्रम में सम्बन्धित विभागों को दिये गये निर्देशों के क्रम में विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह विचार विमर्श किया गया कि सर्वप्रथम चॉदे बाबा तालाब का डिसिल्टेशन कार्य, जन समुदाय की निर्भरता, मिट्टी का परीक्षण, कैडेस्ट्रल मैप तैयार करने का कार्य पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाये, इसके उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि वेटलैण्ड के जल प्रवाह प्रणाली, जल के स्त्रोत, गिरने वाले नाले की क्षेत्रीय निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निरन्तर अद्यतन स्थिति प्राप्त की जाये।

इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त चॉदे बाबा तालाब को आर्द्रभूमि अधिसूचित करने हेतु Brief document तैयार करके समिति के सभी सदस्यों के साथ पुनः विचार विमर्श किया जायेगा।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 787 /14-10-4 लखनऊ, दिनाँक २१, जुलाई, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
3. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ।
4. जिला मत्सय अधिकारी, लखनऊ।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner